न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 4080–पीबीआर/14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–07–2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–9–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय द्वारा चाही गई पुनर्विलोकन की अनुमति इस निष्कर्ष के साथ निरस्त की है कि प्रश्नाधीन भूमि का विकय होकर नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय में निगरानी विचाराधीन है, जिसमें आदेश पारित किया जाना है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अनियमितता अथवा अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्प, भोपाल

R-4080-PBR/14 प्रकरण क्रमांक /२०१४

१- शांतिबाई पत्नी श्री बालकिशन,
२- कु० जशोदा पुत्री श्री बालकिशन अव्यस्क द्वारा संरक्षिका मां शांतिबाई पत्नी बालकिशन निवासीगण ग्राम करोंदिया तहसील बैरसिया जिला भोपाल ------ निगरानीकर्त्ता

विरुद्ध

१- जमनाप्रसाद आ० धन्नालाल निवासी ग्राम नरखेड़ा तहसील व जिला रायसेन,
२- श्रीमति हल्कीबाई पुत्री स्व० धन्नालाल पुत्री पत्नी रुपसिंह निवासी ग्राम बेहड
३- श्रीमति प्रेमबाई पुत्री स्व० धन्नालाल पत्नी गनेशराम निवासी जमानियां तहसील व जिला रायसैन,
४- श्रीमति कमलाबाई पुत्री स्व० श्री धन्नालाल पत्नी श्री हरप्रसाद निवासी पवनेश्वर तहसील व जिला रायसैन (म०प्र०)
५- श्रीमति रामघनीबाई पुत्री स्व० श्री धन्नालाल पत्नी श्री मेहताबसिंह निवासी नरखेड़ा तहसील व जिला रायसैन हाल मुकाम सतलापुर मण्डीदीप जिला रायसैन (म०प्र०) - -- - - - - प्रतिनिगरानीकर्त्तागण

आयुक्त कार्या. भोपाल से प्राप्त
27.11.14
125-
श्री जगदीश प्रसाद आर्य अभि० द्वारा आज दिनांक 14.11.14 को प्रस्तुत
15.11.14
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा ५० के अन्तर्गत निगरानी

महोदय,

निगरानीकर्त्ता द्वारा विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, रायसैन के प्रकरण क्रमांक २।पुनर्विलोकन।१३-१४ में पारित आदेश दिनांक १७-६-१४ से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

---000---